न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)–जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्रीमती कुन्तल विश्नोई
2. प्रकरण संख्या : 56/2013
3. उनवान : राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जयपुर ।

–प्रार्थी

बनाम

श्रीमती कस्तूरी चौधरी धर्मपत्नी एन0आर0 चौधरी निवासी 26, कृष्णा कॉलोनी, खातीपुरा जयपुर।

–अप्रार्थीगण

4. निर्णय दिनांक : 07.04.2025
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) पैरोकार सरकार प्रार्थी की ओर से।

निर्णय

रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 व धारा 88 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

प्रार्थी तहसीलदार जयपुर हाल तहसील कालवाड द्वारा न्यायालय के समक्ष ग्राम माचवा के खसरा नंबर 271/1042 रकबा 10 बीघा की भूमि जो डी.बी. सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.08.2004 के बिन्दु संख्या 4 में वर्णित झील, तालाब, जलाशय, नदी व नाले की भूमि है, जो याचिका के बिन्दु संख्या 1 व 4 के अनुसरण में राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 व 88 के अन्तर्गत रेफरेंस प्रस्तुत किया गया कि ग्राम माचवा के खसरा नंबर 271/1042 रकबा 10 बीघा की भूमि मिसल बंदोबस्त 2015–2034 के अनुसार राजकीय खाते में गै.मु. नदी दर्ज थी। जिसे कालांतर में नामान्तकरण संख्या 453 दिनांक 1.01.1976 के द्वारा आवंटन से गैर खातेदारी दर्ज हुई है। उक्त आराजी में तत्पश्चात स्थानान्तरण होकर नामा0 सं0 680 से खातेदारी 875, 1143 से विक्रय द्वारा कस्तूरी चौधरी धर्मपत्नी एन0आर0 चौधरी निवासी 26, कृष्णा कॉलोनी, खातीपुरा जयपुर नदी, नाले, तालाब, जलाशय आदि की भूमियों जो परम्परागत पानी बहाव क्षेत्र में होने से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में वर्णित है एवं राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 88 के अन्तर्गत होने पर खातेदारी अधिकार उद्भूत नहीं है।

अन्त में प्रार्थना पत्र राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 को स्वीकार फरमाकर वर्णित भूमि को राजकीय घोषित करते हुए किस्म भूमि पूर्वानुसार किये जाने का निवेदन किया गया है।

प्रार्थना पत्र के संलग्न खतौनी जमाबंदी संवत 2015 से 2034, 2060 से 2062 तथा नामान्तकरण संख्या 875, 1143 एवं अन्य संबंधित दस्तावेजात की प्रमाणित प्रति पेश की है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई तथा नोटिस अप्रार्थी जारी किये गये। अप्रार्थी नोटिस जारी किये जाने पर तहसीलदार जयपुर द्वारा अप्रार्थीया के मकान बेचकर अन्य जगह चले जाने का अंकन किया गया। इस पर तहसीलदार को बारम्बार अप्रार्थी के पते की सूचना पेश करने हेतु तहरीर जारी की गई परन्तु प्रार्थी तहसीलदार द्वारा कोई जवाब या नये पते की सूचना पेश नहीं की गई।

अतिरिक्त कलक्टर एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
(तृतीय) जयपुर

56 / 2013

पत्रावली लम्बे समय से विचाराधीन है। रेफरेन्स प्रार्थना पत्र पेश करने वाले प्रार्थी तहसीलदार की जिम्मेदारी भी बनती है कि यदि उनकी ओर से प्रार्थना पत्र पेश किया गया है तो अप्रार्थी के पते की सूचना भी उनके द्वारा ही समय पर न्यायालय में पेश करनी चाहिये।

अतः प्रार्थी के रेफरेन्स प्रार्थना पत्र का निस्तारण इस निर्देश के साथ किया जाता है कि प्रकरण का पुनः परीक्षण करें, यदि उचित समझे तो अप्रार्थी की सम्पूर्ण वल्दियत पता आदि के साथ नियमानुसार समस्त दस्तावेज के साथ रेफरेन्स प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करें।

निर्णय आज दिनांक 7.4.25 सरे इजलास सुनाया गया। बाद निर्णय पत्रावली दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

(कुन्तल विश्नोई)
अति. जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर